# आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –279 / 2022
गरीबनाथ साह
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

## आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

| *आदेश की क्रम–संख्या और तारीख* | *आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर* | *आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ* |
|---|---|---|
| 10.04.2023 | प्रस्तुत अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 11869 / 2022 में दिनांक–19.10.2022 को पारित आदेश के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति, मुजफ्फरपुर के आदेश ज्ञापांक 1264 दिनांक 13.06.2022 को लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना में पारित आदेश का अंश निम्न प्रकार है :–<br><br>**"Mr. Hemant Kumar Karan, learned advocate for the respondent no.5 does not dispute this contention and brings to the entire dispute has been referred to the Divisional Commissioner with a direction to him to look into the matter and after hearing all the stake holders and pass a final order within a specified period, giving reasons in support of the decision taken by him."**<br><br>वादी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार दिनांक 30.11.2019 को जिला स्तरीय चयन समिति ने वादी का अनुज्ञप्ति हेतु योग्य पाते हुए अनुज्ञप्ति सं0–23.09.23–05 / 2020 निर्गत किया। विपक्षी सं0–04 (भूपेन्द्र कुमार) के आवेदन को इस आधार पर अयोग्य कर दिया कि उन्हें कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं था और न ही उन्होंने कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित कोई कागजात आवेदन के साथ दाखिल किया था। और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुकम्पा समिति ने वादी (श्री गरीबनाथ साह) के अनुज्ञप्ति को रद्द करने हेतु आदेश कर दिया | |

WEB COPY NOT OFFICIAL

एवं विपक्षी सं0–04 (गरीबनाथ साह) को कम्प्यूटर ज्ञान है पाते हुए इनके (गरीबनाथ साह) अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया। उक्त निर्णय के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 22.07.2022 से वादी के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया। जिसके विरूद्ध वादी माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 11869/2022 दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक 19.10.2022 के आलोक में यह वाद दायर किया गया हे।

वादी के विद्वान अधिवकता का दावा है कि विपक्षी सं0–04 (श्री भूपेन्द्र कुमार) को कम्प्यूटर ज्ञान नहीं रहने के कारण वादी (श्री गरीबनाथ साह) का चयन किया था। विपक्षी सं0–04 (श्री भूपेन्द्र कुमार) के आवेदन में कम्प्यूटर ज्ञान के कॉलम में नहीं लिखा हुआ है। एवं उन्होंने औपबंधिक मेधा सूची के निकलने के बाद विपक्षी सं0–04 (श्री भूपेन्द्र कुमार) समय से कोई आपत्ति नहीं किया। फिर भी उन्हें कम्प्यूटर ज्ञान मानते हुए उनका चयन कर लिया गया जो गलत है। अंत में वादी के विद्वान अधिवक्ता में जिला स्तरीय अनुकम्पा समिति के आदेश दिनांक 13.06.2022 एवं अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक 881 दिनांक 22.07.2022 को निरस्त करने का अनुरोध किया।

विपक्षी सं0–04 (श्री भूपेन्द्र कुमार) के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार मुजफ्फरपुर जिलांतर्गत मीनापुर प्रखंड के तुर्की पश्चिम पंचायत के लिए जनवरी 2018 में आवेदन मांगा गया। विपक्षी सं0–04 (श्री भूपेन्द्र कुमार) ने दिनांक 15.01.2018 को अपने आवेदन के साथ सभी वांछित कागजात समर्पित किया। इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया जिसके कम्प्यूटर ज्ञान (कॉलम सं0–06 में 'हाँ') करके प्रतिवेदन दिया। इसके बाद औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित हुआ। जिसमें वादी (श्री गरीबनाथ साह) का नाम अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसित था परंतु विपक्षी सं0–04 (श्री भूपेन्द्र कुमार) का कम्प्यूटर ज्ञान के कॉलम में 'नहीं' एवं व्यापार स्थल के संबंध में अद्यतन लगान रसीद नहीं होने एवं खाली रहने के कारण इनका विपक्षी सं0–04 (श्री भूपेन्द्र कुमार) का अनुशंसा नहीं किया गया। दिनांक 02.07.2018 को विपक्षी सं0–04 (श्री भूपेन्द्र कुमार) ने इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन दिया और बताया की औपबंधिक मेधा सूची में विपक्षी सं0–04 (श्री भूपेन्द्र कुमार) का कम्प्यूटर ज्ञान एवं लगान रशीद को नहीं दर्शाया गया है, जिन्हें Final सूची में दर्शाने का अनुरोध किया। जिसकी जाँच प्रखंड विकास पदाधिकारी, पारू से करायी गयी

WEB COPY NOT OFFICIAL

एवं उन्होंने प्रतिवेदित किया की विपक्षी सं0–04 (श्री भूपेन्द्र कुमार) का आपत्ति सही हैं। इसके बाद में दिनांक 30.11.2019 को जिला स्तरीय चयन समिति ने वादी (श्री गरीबनाथ साह) के पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु आदेश कर दिया। इसके बाद विपक्षी सं0–04 (श्री भूपेन्द्र कुमार) माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 4498/2020 दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद लंबित रहने के दौरान ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने दिनांक 30.07.2021 को CWJC No. 11869/2022 को अपर समाहर्त्ता–सह–वरीय प्रभारी पदाधिकारी, आपूर्ति के समक्ष वाद के संबंध में कागजात के साथ उपस्थित होने हेतु सूचना दिया। इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने ज्ञापांक 07.07.2022 से वादी एवं विपक्षी सं0–04 (श्री भूपेन्द्र कुमार) को सभी साक्ष्यों/कागजात के साथ सुनवाई के लिए उपस्थित होने की सूचना दी। इसके बाद दिनांक 22.02.2022 को जिला स्तरीय चयन समिति ने विपक्षी सं0–04 (श्री भूपेन्द्र कुमार) के शिकायत का आंशिक रूप से सही पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी को संबंधित कार्यालय कर्मचारी पर कार्रवाई करने का निदेश दिया। जिसके विरूद्ध वादी दिनांक 20.04.2022 को अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 22.02.2022 को जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के संबंध में अपनी बात रखी। इसके बाद दिनांक 13.06.2022 को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया की ''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के नियम 09 के अनुसार विपक्षी सं0–04 (श्री भूपेन्द्र कुमार) को योग्य पाते हुए उनके चयन करने का आदेश दिय एवं विपक्षी सं0–04 (श्री भूपेन्द्र कुमार) के आवेदन में ''हाँ'' को ''नहीं'' करने के लिए संबंधित कर्मी पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 22.07.2022 से वादी के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया एवं विपक्षी सं0–04 (श्री भूपेन्द्र कुमार) का चयन किया। इस प्रकार कार्यालय कर्मी द्वारा कागजात में छेड़–छाड़ कर गलत तरीके से वादी का किये गये चयन को रद्द करते हुए विपक्षी सं0–04 (श्री भूपेन्द्र कुमार) को योग्य पाकर इनका चयन किया है, जो सही है।

उभय पक्षों को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जनवरी 2018 में मुजफ्फरपुर जिलांतर्गत मीनापुर प्रखंड के तुर्की पश्चिम के लिए जन वितरण

WEB COPY NOT OFFICIAL

प्रणाली विक्रेता हेतु विज्ञापन निकला। जिसमें उभय पक्षों के द्वारा आवेदन दिया गया। उभय पक्षों के द्वारा दिये गये आवेदन में विपक्षी सं0–04 (श्री भूपेन्द्र कुमार) के कम्प्यूटर ज्ञान के कॉलम मे 'नहीं' होने के कारण उन्हें (श्री भूपेन्द्र कुमार) चयनित नही कर वादी (श्री गरीबनाथ साह) का चयन किया गया। जिसके विरूद्ध विपक्षी सं0–04 (श्री भूपेन्द्र कुमार) ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 4498/2020 दायर किया। CWJC No. 4498/2020 माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित रहने के दौरान ही जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी ने एक अन्य CWJC No. 5612/2022 (जिसमें स्थगन आदेश पारित किया गया था) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा स्थगन आदेश वापस लेने के बाद उभय पक्षों को सुनवाई हेतु संबंधित साक्ष्य/कागजात के साथ उपस्थित होने हेतु सूचना दी। जिसका अनुपालन उभय पक्षों ने किया। इसके बाद दिनांक 22.02.2022 को जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि विपक्षी सं0–04 (श्री भूपेन्द्र कुमार) का दावा कम्प्यूटर ज्ञान के कॉलम में 'हाँ' था, को 'नहीं' बनाने का आपत्ति/आरोप को आंशिक रूप से सही पाया एवं इनके लिए दोषी कर्मी को चिन्हित कर कार्रवाई करने एवं उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए ''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के नियम 09 के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर को दिया। अनुमंडल पदाधिकारी ने उक्त के आलोक में कार्रवाई करते हुए दिनांक 13.06.2022 को जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रतिवेदन समर्पित किया। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति ने माना की दिनांक 22.02.2022 की जिला स्तरीय चयन समिति के सुनवाई में विपक्षी सं0–04 (श्री भूपेन्द्र कुमार) द्वारा समर्पित किये गये साक्ष्य (आवेदन एवं कम्प्यूटर ज्ञान का प्रमाण–पत्र) से भी स्पष्ट हो चुका था कि विपक्षी सं0–04 (श्री भूपेन्द्र कुमार) को कम्प्यूटर ज्ञान था एवं उसके आवेदन में कम्प्यूटर ज्ञान के कॉलम में 'हाँ' पाते हुए विपक्षी सं0–04 (श्री भूपेन्द्र कुमार) के पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा कर दी, जिस आधार पर विपक्षी सं0–04 (श्री भूपेन्द्र कुमार) को अनुज्ञप्ति हेतु चयन किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक 13.06.2022 को लिये गये निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक 13.06.2022 को लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपीलवाद खारिज किया जाता है। साथ ही निम्न न्यायालय के अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि कार्यालय कर्मी द्वारा आवेदन में छेड़–छाड़ किया गया है। जिसके कारण ऐसी समस्या उत्मन्न हो गयी। इस हेतु संबंधित की पहचान कर कार्रवाई करना आवश्यक है। क्योंकि साक्ष्य के साथ छेड़–छाड़ करना एक सरकारी कर्मी के लिए बहुत ही बड़ा अपराध है एवं यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रतिकूल है। ऐसे कर्मी को दंडित करना अति आवश्यक है। जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा ऐसे कर्मी के विरूद्ध कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया है परंतु कार्रवाई के फलाफल की कोई सूचना निम्न न्यायालय के अभिलेख में नहीं है। यदि उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई है तो उसकी सूचना अथवा यदि नहीं की गई है तो जिला स्तरीय चयन समिति को संबंधित कर्मी की पहचान कर उस पर कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई की सूचना इस कार्यालय को भी देने के निदेश के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

**लेखापित एवं संशोधित**

**आयुक्त** **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL